

## अध्याय 4

### लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता और गुणवत्ता का अनुपालन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

#### 4.1 राज्य की संचित निधि या लोकलेखा निधि के बाहरी निधि

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेज़री विपत्र द्वारा निर्गत उस सरकार द्वारा जुटाए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त सभी रकम राज्य के संचित निधि के नामित होने के लिए एक संचित निधि गठित की जाएगी।

##### 4.1.1 श्रम उपकर

(क) श्रम उपकर

श्रम और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2020-21 के दौरान, सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 59.15 करोड़ एकत्र किये। साथ ही साथ 2020-21 तक सरकारी योजनाओं का निष्पादन करने वाले ठेकेदारों से उपकर के रूप में ₹ 609.33 करोड़ एकत्रित किए गए। एकत्र किए गए उपकर के रूप में ₹ 609.33 करोड़ की राशि को श्रम कल्याण बोर्ड निधि (अक्टूबर 2021) में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों (2008-21) के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि और राज्य के राजकोषीय घाटे में कमी दर्शायी गयी और यह राज्य के बेहिसाब देनदारियों को दर्शाता है।

**तालिका 4.1: सरकार द्वारा श्रम उपकर से प्राप्त राशि तथा बोर्ड को इसका हस्तांतरण**

( करोड़ में )

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि
2016-17 तक	312.90
2017-18	80.77
2018-19	79.81
2019-20	76.70
2020-21	59.15
<b>कुल</b>	<b>609.33</b>

यह देखा गया कि श्रम कल्याण बोर्ड ने केवल 2012-13 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था। तथापि, 2020-21 तक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निधि की प्राप्तियाँ और उपयोगिताएँ तालिका 4.2 में दर्शाई गयी है।

**तालिका 4.2: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण और इसकी उपयोगिता**

( करोड़ में )

वर्ष	सरकार द्वारा प्रदान सहायता-अनुदान राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष उपकर	कुल प्राप्ति	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय <sup>1</sup>	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयोगी शेष राशि
(1)	(2)	(3)	((2+3)=4)	(5)	(6)	((5+6)=7)	((4-7)=8)
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0	90.19	90.19	59.19	0.89	60.09	30.10
2019-20	0	120.00	120.00	75.78	0.83	76.60	43.40
2020-21	0	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
<b>कुल</b>	<b>5.08</b>	<b>778.27</b>	<b>783.35</b>	<b>430.32</b>	<b>7.17</b>	<b>437.49</b>	<b>345.86</b>

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त विवरणी।

2009-10 से 2020-21 के दौरान, ₹ 430.32 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गये, जबकि ₹ 7.17 करोड़ स्थापना पर व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धन का केवल 55.85 प्रतिशत ही उपयोग किया।

**4.2 गैर-बजट उधार**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट (भुगतेय) या प्रत्याभूतियाँ होते हैं और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। सूचना के अनुसार 2020-21 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस.पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

**4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि**

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें

<sup>1</sup> 26 योजनाएँ, झारखण्ड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 23.11.2021 को प्रदान किए गए विवरणी के अनुसार कल्याण बोर्ड के तहत चल रही हैं।

महत्त्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था। इन निधियों के व्यय का उल्लेख राज्य के वित्त लेखे में नहीं किया गया था।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को सीधे राज्य को जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरण में 2013-14 में ` 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ` 130.92 करोड़ की कमी आई जो आगे 2020-21 में बढ़कर ` 294.25 करोड़ हो गई। कुछ प्रमुख एजेंसियों को हस्तांतरित निधि के हस्तांतरण का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

**तालिका 4.3: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि**

( करोड़ में )

क्रम संख्या	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2020-21 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी	37.50
2	अवसंरचना विकास एवं क्षमता विनिर्माण	इण्डो-दानिस टूल रूम	49.78
3	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	झारखण्ड भूमि सुधार सोसायटी	25.25
4	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण संस्थान	23.69
5	जारी योजनाएँ तथा परियोजना शक्ति	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	20.25
6	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला बाल विकास तथा समाजिक सुरक्षा	16.27
7	किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ऑफ ग्रिड (कुसुम)	झारखण्ड नवीनीकृत उर्जा विकास अधिकरण	16.05
8	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	105.46
<b>कुल</b>			<b>294.25</b>

स्रोत: राज्य लेखा (2020-21) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

जब से यह निधि राज्य बजट में नियमित नहीं की गई है ये राज्य सरकार के लेखे में प्रतिबिम्बित नहीं होती, ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड- II के परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित की जाती है।

प्रत्यक्ष हस्तांतरण से कार्यकारी अभिकरण का व्यय राज्य के लेखे में नहीं दिया गया है।

#### 4.4 स्थानीय निधि जमा

कुछ राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जिला परिषद् (जि.प.), पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमशः जिला परिषद् निधि, पंचायत समिति निधि और ग्राम पंचायत निधि को बनाए रखेंगे (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 109-पंचायत निकाय निधि) जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि, यथा केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और उनके अपने राजस्व जिसमें पंचायत के कर और गैर-कर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, शामिल होंगे। अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि का गठन किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किए गए सभी धन और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा के तहत लघु शीर्ष 102-नगरपालिका निधि के अधीन रखा जाता है।

**तालिका 4.4: स्थानीय निधि जमा**

( करोड़ में )

वर्ष			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	183.88	212.71	309.67	364.38	338.12
		प्राप्तियाँ	143.53	181.74	128.99	124.60	100.19
		व्यय	114.7	84.78	74.28	150.86	87.30
		<b>अंतिम शेष</b>	<b>212.71</b>	<b>309.67</b>	<b>364.38</b>	<b>338.12</b>	<b>351.01</b>
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	1,535.71	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75
		प्राप्तियाँ	1,159.19	1,122.21	915.05	1,252.93	4,492.16
		व्यय	691.73	1,255.35	825.99	1,134.27	3,523.36
		<b>अंतिम शेष</b>	<b>2,003.17</b>	<b>1,870.03</b>	<b>1,959.09</b>	<b>2,077.75</b>	<b>3,591.45</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, यू.एल.बी. तथा पी.आर.आई. द्वारा इन लेखों के शीर्षों पर किया गया व्यय 2019-21 में पी.आर.आई. तथा 2017-18 में यू.एल.बी. को छोड़ कर प्रत्येक वर्ष के प्राप्तियों से बहुत कम था। प्राप्तियों की तुलना में कम व्यय लेखे में निधि के जमाव को प्रदर्शित करता है। आगे, 2020-21 में यह देखा गया कि पी.आर.आई. के निवल योग में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि, यू.एल.बी. में काफी वृद्धि हुई।


#### 4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर) यह निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद, प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), झारखण्ड को अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर इन्हें अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 तक भुगतान किए गए ` 88,047.48 करोड़ के अनुदान से संबंधित 34,017 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2021 के अंत तक बकाया थे।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, ` 19,191.46 करोड़ और ` 20,077.67 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ` 7,079.39 करोड़ और ` 6,369.87 करोड़ की राशि प्राधिकरणों और निकायों को पूँजीगत संपत्ति बनाने के लिए दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के सृजन के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं किया गया था। फलस्वरूप, पूँजीगत संपत्ति के सृजन का पता नहीं लगाया जा सका। पाँच विभागों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया यू.सी.



31 मार्च, 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) की संख्या और राशि **तालिका 4.5** में दर्शायी गयी है।

**तालिका 4.5: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में बकाया**

( करोड़ में )

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंबित प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	17,048	28,205.67	5,019	17,481.36	668	6,571.50	21,399	39,115.53
2017-18	21,399	39,115.53	4,219	19,545.33	515	6,114.69	25,103	52,546.17
2018-19*	25,103	52,546.17	4,483	17,435.44	228	278.62	29,358	69,702.99
2019-20*	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48

\*2019-20 के दौरान संवितरित किए गए जी.आई.ए. के लिए यू.सी. 2020-21 के अवधि के लिए देय हुए।

**तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन**

( करोड़ में )

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2010-11 तक	2,191	966.09
2011-12	494	273.38
2012-13	936	1,135.61
2013-14	1,320	1,504.44
2014-15	2,134	5,354.78
2015-16	8,903	9,573.78
2016-17	4,869	14,497.67
2017-18	3,970	18,643.87
2018-19	4,451	17,363.16
2019-20	4,749	18,734.70
<b>कुल</b>	<b>34,017</b>	<b>88,047.48</b>

जी.आई.ए. विपत्र के विरुद्ध यू.सी. की अप्राप्ति अपेक्षित उद्देश्य के लिए अनुदान की उपयोगिता के प्रस्तुतीकरण समय पर सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है। यू.सी. का अधिक विलम्बन निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। विभागों द्वारा यू.सी. के अप्रस्तुतीकरण का कारण नहीं बताया गया था।

**4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र**

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2021 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.7** में दी गयी है।

**तालिका 4.7: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति**

(` करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		जोड़		निष्पादन		अंतिम शेष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2018-19 तक	17,515	4,279.56	243	1,061.32	70	845.54	17,688	4,495.34
2019-20	17,688	4,495.34	330	2,168.00	83	1706.66	17,935	4,956.68
2020-21	17,935	4,956.68	357	1,911.15	20	848.85	18,272	6,018.98


राज्य के 16 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 357 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर सरकारी लेखों से ` 1,911.15 करोड़ आहरित किए, लेकिन वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व ` 1,062.31 करोड़ के 337 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को जमा नहीं किया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ` 1,062.31 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गयी, जिसके लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2020-21 में व्यय की संभावित अत्योक्ति के रूप में परिलक्षित हुई।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक आहरित ` 4,956.68 करोड़ की राशि वाले 17,935 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2021 तक लम्बित थे। अग्रिम आहरित की गयी और लेखांकन नहीं किया गया जिससे उपव्यय/गबन/दुर्विनियोग आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मार्च 2020 में आहरित ` 264 करोड़ की तुलना में 2020-21 में ए.सी. विपत्रों पर कुल आहरित ` 1,911.15 करोड़ में से ` 44.20 करोड़ मार्च 2021 में आहरित किए गए। ए. सी. विपत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिए था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

अधिकतम राशि वाले लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों की तुलनात्मक विवरणी के साथ चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।

**चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र**



भवन निर्माण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2020-21 के अंत तक आहरित 60 एसी विपत्र के संबंध में ` 64.37 करोड़ के डी.सी. विपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। भवन निर्माण विभाग में लंबित डी. सी. विपत्र का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

**तालिका 4.8: 2020-21 के अंत तक भवन निर्माण विभाग का लंबित डी.सी. विपत्र**

(` करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	डी.सी. विपत्र की संख्या	राशि
2052	20	0.04
2059	28	0.29

2216	9	63.15
4059	3	0.89
<b>कुल</b>	<b>60</b>	<b>64.37</b>

इसके अलावा पर्यटन कला, संस्कृति खेलकूद और युवा मामले विभाग (पर्यटन प्रभाग) के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि 2020-21 के अंत तक तैयार किए गए 325 एसी. विपत्रों के संबंध में ₹ 91.79 करोड़ के डी.सी. विपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग के पर्यटन संभाग में लंबित डी.सी. विपत्र का विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

**तालिका 4.9: 2020-21 के अंत तक पर्यटन संभाग का लंबित डी.सी. विपत्र**

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि
3451	13	0.02
3452	189	51.72
5452	123	40.05
<b>कुल</b>	<b>325</b>	<b>91.79</b>

यह देखा गया है कि झा.को.सं. के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹ 126.52 करोड़ की राशि के 316 डी.सी. विपत्र 1 माह से 128 माह के बीच विलंब से प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।

ए.सी. विपत्रों पर धन राशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्रों को जमा नहीं करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि लोक धन के दुर्विनियोजन और गलत तरीके से इस्तेमाल के जोखिम को बढ़ाता है।

#### 4.7 व्यक्तिगत बही खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, राशि कोषागार से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वर्ष 2020-21 के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अधीन लघु शीर्ष में लेन-देन से संबंधित वित्त लेखे एवं वाउचर स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा 172 व्यक्तिगत बही खाता (पी.एल.ए.) संचालित थे।

पी.एल.ए. में शेष का वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.10** में दी गयी है।

**तालिका 4.10: व्यक्तिगत बही खाता में निधि**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंतिम शेष
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85

**तालिका 4.10** से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष, 2019-20 को छोड़कर, पी.एल.ए. में पर्याप्त राशि जोड़ी गई, जिससे अंत शेष में तीव्र वृद्धि हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रारंभिक शेष में ₹ 2,596.26 को शामिल किया गया जिससे वर्ष के अंत शेष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ₹ 16,302.85 करोड़ की एक वृहत राशि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर रखी गई थी, जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

इसके अलावा, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 334 में कहा गया है कि प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। लगातार दो

वित्तीय वर्षों के बाद से अव्यवहृत रही राशि को आगे नहीं खर्च किया जाना चाहिए और शेष राशि को संबंधित उसी सेवा शीर्ष को व्यय में कमी के रूप में हस्तांतरित किया जाना चाहिए जहाँ से राशि का आहरण किया गया था।

15 प्रशासकों के पी.एल. खातों की नमूना-जाँच में पता चला कि दो प्रशासकों ने उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया और ` 53.52 करोड़ के अव्ययित राशि को तीन साल से अधिक अवधि तक पी.एल. खातों में अवरूद्ध रखा। विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

**तालिका 4.11: पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध राशि**

( करोड़ में )

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अंतिम शेष	पी.एल. खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से रखी गई राशि
1	सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु झारखण्ड एजेन्सी	154.66	14.01
2	पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	341.84	39.51
	<b>कुल</b>	<b>496.50</b>	<b>53.52</b>

लंबे समय से पी.एल. खातों में जमा अव्ययित शेष और वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन था, बल्कि लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन के जोखिम को भी बढ़ाता है।

#### 4.8 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता नियम 328 से 330 यह प्रावधान करता है कि व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाता वित्त विभाग की सहमति से और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात कोषागार में खोले जा सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक धन राशि जमा करने के लिए और वित्त विभाग के प्राधिकरण के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए पी.डी. खाते खोले जाते हैं। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद कोषागार अधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पूर्व अनुमति से खाते को बन्द करेगा।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को दिसम्बर 2019 में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. खाते खोलने का निर्देश दिया। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाते खोले गए। ये सभी खाते कार्यरत हैं और 2020-21 के दौरान ` 1,155.66 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ` 1,113.15 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन खातों में कुल जमा राशि में से वित्तीय वर्ष के अंत में ` 1,746.53 करोड़ शेष रखते हुए वर्ष के दौरान ` 522.29 करोड़ संवितरित किए गये।

#### 4.9 लघुशीर्ष 800 का निरंतर उपयोग

अन्य प्राप्तियों तथा अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल तब संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2020-21 के दौरान 12 मुख्य शीर्षों में प्राप्त (50 प्रतिशत या अधिक) ` 587.12 करोड़ में से ` 541.66 करोड़ को लघुशीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" के तहत दर्ज किया गया था, जो इन मुख्य शीर्षों के तहत कुल प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। विवरण **तालिका 4.12** में दिए गए हैं।

**तालिका 4.12: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय**

( करोड़ )

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में जमा	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0057	आपूर्ति एवं निष्कारण	0.08	0.08	100.00
2	0059	लोक कार्य	5.80	5.80	100.00
3	0220	सूचना तथा प्रचार प्रसार	0.01	0.01	100.00
4	0700	बृहत सिंचाई	31.57	31.57	100.00
5	0701	मध्यम सिंचाई	26.52	26.52	100.00
6	0801	उर्जा	160.38	160.38	100.00
7	1456	नागरिक आपूर्ति	137.05	137.04	99.99
8	1054	सड़क और पुल	31.11	31.11	100
9	0702	लघु सिंचाई	0.73	0.72	98.63
10	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	9.10	8.40	92.31
11	0075	विविध सामान्य सेवा	171.11	131.42	76.80
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13.66	8.61	63.03
कुल			<b>587.12</b>	<b>541.66</b>	<b>92.25</b>

#### 4.10 प्रमुख उचंत, कर्ज, जमा और प्रेषण शीर्षों के अधीन बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतान का लेन-देन खातों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अधीन राशि को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अंत तक अनिष्पादित बचे हुए उचंत शेष उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिंब पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। राज्य की उचंत शेष की स्थिति तालिका 4.13 में इंगित की गई है।

तालिका 4.13: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

( करोड़ में )

लघु शीर्ष के नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	70.90	45.38	150.67	138.66	307.17	309.99	437.28	438.51
<b>निवल</b>	<b>डेबिट 25.52</b>		<b>डेबिट 12.01</b>		<b>क्रेडिट 2.82</b>		<b>क्रेडिट 1.23</b>	
102-उचंत लेखा (सिविल)	196.54	17.27	28.67	23.33	34.22	26.72	41.87	40.83
<b>निवल</b>	<b>डेबिट 179.27</b>		<b>डेबिट. 5.34</b>		<b>डेबिट 7.50</b>		<b>डेबिट 1.04</b>	

तालिका 4.14: प्रेषण शीर्ष-8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

( करोड़ में )

मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण								
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-पी.डब्ल्यू प्रेषण	26,822.84	26,889.20	37,102.27	37,220.48	47,673.35	47,785.76	55,208.80	55,332.72
<b>शुद्ध</b>	<b>क्रेडिट 66.36</b>		<b>क्रेडिट 118.21</b>		<b>क्रेडिट 112.41</b>		<b>क्रेडिट 123.92</b>	
103-वन प्रेषण	974.89	975.36	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93	2,394.30	2,404.06
<b>शुद्ध</b>	<b>क्रेडिट 0.47</b>		<b>क्रेडिट 0.64</b>		<b>क्रेडिट 1.84</b>		<b>क्रेडिट 9.76</b>	

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा

इन शीर्षों के अधीन शेषों के आशय नीचे दिए गए हैं:

#### • वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष राशि उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करती है जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड द्वारा निष्पादित किए गए जिसे वापस किया जाना शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समायोजित करना शेष है। यह देखा गया कि निवल शेष 2017-18 के डेबिट ` 25.52 करोड़ से परिवर्तित होकर 2020-21 में क्रेडिट ` 1.23 करोड़ हो गया। इस शीर्ष (` 1.53 करोड़) के तहत निवल क्रेडिट बैलेंस के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष उस स्तर तक कम हो जाएगा।

#### • उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष को प्राप्तियों को अभिलेखित करने के लिए क्रेडिट और व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा समर्थित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद शेष राशि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान इस उचंत शीर्ष के तहत निवल शेष डेबिट ` 1.04 करोड़ से डेबिट ` 179.27 करोड़ के बीच घटता-बढ़ता रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 के अंत में ` 133.68 करोड़ का क्रेडिट शेष पारगमन में था।

#### 4.11 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदान के भीतर व्यय का प्रभावी नियंत्रण और इनके लेखे की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम करने के लिए राज्य वित्तीय नियम कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके बही-खातों में दर्ज किए गये प्राप्त एवं व्यय को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों में दर्ज आँकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली का नियम 134 बताता है कि नियंत्रक अधिकारी को विभागीय लेखे को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बजट नियंत्रक अधिकारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से प्राप्तियों एवं व्यय के इनके मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों के समाशोधन हेतु बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) की आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति करते हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से राज्य के प्राप्तियों एवं व्यय के असमाशोधन के नियमित प्रतिवेदन के पश्चात, कुछ हद तक इसमें परिवर्तन देखा गया और यह पाया कि 2019-20 के 97.33 प्रतिशत के सापेक्ष 2020-21 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य के कुल प्राप्तियों (₹ 69,745.09 करोड़) के विरुद्ध 98.27 प्रतिशत (₹ 68,520.52 करोड़) का विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही खातों से समाशोधन किया गया। इसी प्रकार, 2019-20 के 74.45 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों द्वारा ₹ 73,853.84 करोड़ के कुल व्यय का 84.38 प्रतिशत (₹ 62,317.34 करोड़) का समाशोधन किया गया।

चूँकि, राशि का समाशोधन वार्षिक लेखे में प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए 100 प्रतिशत समाशोधन का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जाना शेष है। समाशोधन की वर्षवार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शायी गई है।

**चार्ट 4.3: तीन वर्षों 2018-21 के दौरान समाशोधन की स्थिति**



#### 4.12 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही-खातों में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताई गई नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों { ₹ 160.55 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़ों { ₹ 7.54 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 168.09 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। समाशोधन एवं आवश्यक सुधार हेतु 2020-21 के दौरान ₹ 168.09 करोड़ (निवल डेबिट) के अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आवश्यक सुधार एवं समाशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, राँची से संपर्क किया गया।

#### 4.13 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.15: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी. ए. एस. - 1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.-3 सरकार द्वारा ली गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखलाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, का पता नहीं लगाया जा सका

#### 4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सी.ए.जी. से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सी.ए.जी. को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

#### निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत स्वायत्त निकायों के लेन-देन, परिचालन गतिविधियों और खातों के सत्यापन, लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा करने, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के संबंध में राज्य में दस प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण तालिका 4.16 में दिया गया है।

**तालिका 4.16: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति**

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2018-19	2018-19	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त किए गए हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2018-19	2011-12	03.03.2014	वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखे की लेखापरीक्षा जे.एस.ई.आर.सी. से लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब के अभाव में लंबित है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लेखे की लेखापरीक्षा तकनीकी कारणों से संचालित नहीं किया गया है।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21	2017-18	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2017-18 अवधि के लिए 6 मार्च, 2020 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्सा)	2002-03 से 2009-10	डी.पी.सी. एक्ट, 1971 की धारा 19(3) के तहत एनट्रस्टमेंट की कमी के कारण लेखे की लेखापरीक्षा की शुरूआत अभी तक नहीं की गई है।		
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17	एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।		
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।		
7	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
8	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
9	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
10	बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		

झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सक्रिय अनुकरण के बावजूद सूचित नहीं की गई है। आगे, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित चार निकायों के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से बात की गयी, लेकिन शुरूआत से ही इनके लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। हालाँकि, इन निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

**4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण**

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 76 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 76 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि चार<sup>2</sup> निकायों/प्राधिकरणों ने, शुरूआत से, अपना लेखा को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 72 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अक्टूबर 2021 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

#### 4.16 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 उल्लेखित करता है कि गबन या अन्यथा द्वारा लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

#### 4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सम्बंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 (पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर चर्चा की थी और ` 8,120.63 करोड़ में से ` 8,120.12 करोड़ को पी.ए.सी. की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। इसके आगे, 2008-09 से 2018-19 की अवधि के लिए अधूरी योजनाओं, आकस्मिकता निधि से अग्रिम, प्रावधानों से आधिक्य व्यय, निधियों के पर्याप्त प्रत्यर्पण इत्यादि पर राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 159 कंडिका 31 अक्टूबर 2021 तक पी.ए.सी. में चर्चा के लिए लंबित थे। 2020-21 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई चर्चा नहीं हुई।

<sup>2</sup> (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) सी.ए.एम.पी.ए. (iv) वन विकास प्राधिकरण

#### 4.18 निष्कर्ष

मार्च 2021 तक एकत्रित ` 609.33 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर 2021) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-21) राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में कमी हुई।

राज्य में 31 मार्च 2021 तक, ` 88,047.48 करोड़ राशि के 34,017 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) 2020-21 तक विभिन्न विभागों के पास बकाया थे।

ए.सी. विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुूपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2021 को, 2020-21 तक आहरित ए.सी. विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में ` 6,018.98 करोड़ के डी.सी. विपत्र (18,272) जमा नहीं किए गए।

अव्ययित शेष राशि का अधिक समय से पी. एल. खाते में पड़े रहना तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरुूपयोग, गबन तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। बहुत बड़ी राशि का इन लेखों में अनुपयोगी पड़े रहने से अन्य कार्यों पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

#### 4.19 अनुशंसाएँ

- झारखण्ड सरकार को यथासंभव श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बोर्ड भवन निर्माण एवं अन्य दूसरे निर्माण कर्मियों की कार्यरत स्थिति के विकास एवं इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा कर सके।
- वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए ज़िम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित सभी ए.सी. विपत्र एक समयबद्ध तरीके से समायोजित हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए.सी. विपत्रों का आहरण सिर्फ बजट को समाप्त होने से बचने के लिए न हो।
- वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में रखी गयी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और नियमावली का अनुसरण करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।